

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 01/भू0अ0नि0(1) यो0बजट-आवंटन (सीमा स्तंभ-0106)- 02/2021.2316

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

नालन्दा / शेखपुरा / मुंगेर / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / जमुई /
बाँका / अररिया / किशनगंज / पूर्णियाँ / कटिहार / बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय /
शिवहर / सीतामढ़ी / जहानाबाद / अरवल।

पटना, दिनांक :- 10-08-2021

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 103- भू-अभिलेख - उप
शीर्ष -0106- सीमा स्तम्भों का परिचालन- माँग संख्या- 40- विपत्र कोड-
40-2029001030106 के अन्तर्गत ईकाई कोड- 27 01 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि
का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत ग्राम के
त्रि-सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन किया जाना है भवन निर्माण विभाग
द्वारा प्रति पीलर निर्धारित दर (Carriage of Material Per Pillar Cost को छोड़कर) को पूर्व में निदेशालय के पत्रांक
236 दिनांक 25.01.2021 द्वारा संसूचित कर दिया गया है।

अतः त्रि-सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु निम्नानुसार
आवंटन निर्गत किया जा रहा है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	त्रि-सीमानों की संख्या	त्रि-सीमाना पर लगाये जाने वाले पिलरों की संख्या	तत्काल आवंटित राशि@750 रूपये प्रति पिलर
1	2	3	4	5
1	नालन्दा	984	984	7,38,000
2	शेखपुरा	717	717	5,37,750
3	मुंगेर	752	752	5,64,000
4	सहरसा	363	363	2,72,250
5	सुपौल	659	659	4,94,250
6	मधेपुरा	320	320	2,40,000
7	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	702	702	5,26,500
8	जमुई	318	318	2,38,500
9	बाँका	625	625	4,68,750
10	अररिया	445	445	3,33,750
11	किशनगंज	1277	1277	9,57,750
12	पूर्णियाँ	221	221	1,65,750
13	कटिहार	504	504	3,78,000
14	बेगूसराय	1010	1010	7,57,500

क्र०सं०	जिला का नाम	त्रि-सीमानों की संख्या	त्रि-सीमाना पर लगाये जाने वाले पिलरों की संख्या	तत्काल आवंटित राशि@750 रुपये प्रति पिलर
1	2	3	4	6
15	खगड़िया	463	463	3,47,250
16	लखीसराय	1103	1103	8,27,250
17	शिवहर	247	247	1,85,250
18	सीतामढ़ी	644	644	4,83,000
19	जहानाबाद	650	650	4,87,500
20	अरवल	977	977	7,32,750
कुल योग :-		12981	12981	97,35,750

(सन्तानवें लाख पैंतीस हजार सात सौ पचास रुपये मात्र)

2. उपरोक्त निर्गत आवंटन में Carriage of Material Per Pillar Cost को सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुरोध है कि Carriage of Material Per Pillar Cost की गणना करते हुए अलग से अधियाचना उपलब्ध कराते हुए राशि की माँग की जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40 - 2029001030106** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:-01/भू0अ0नि0(1)यो0 बजट-आवंटन(सीमा स्तंभ-0106)-02/2021^{23/6} पटना, दिनांक :-10-08-2021
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-01/भू0अ0नि0(1)यो0 बजट-आवंटन(सीमा स्तंभ-0106)-02/2021^{23/6} पटना, दिनांक :-10-08-2021

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/शेखपुरा/मुंगेर/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/जमुई/बाँका/अररिया/किशनगंज/पूर्णिया/कटिहार/बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/शिवहर/सीतामढ़ी/जहानाबाद/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-01/भू0अ0नि0(1)यो0 बजट-आवंटन(सीमा स्तंभ-0106)-02/2021^{23/6} पटना, दिनांक :-10-08-2021

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-01/भू0अ0नि0(1)यो0 बजट-आवंटन(सीमा स्तंभ-0106)-02/2021^{23/6} पटना, दिनांक :-10-08-2021

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-01/भू0अ0नि0(1)यो0 बजट-आवंटन(सीमा स्तंभ-0106)-02/2021^{23/6} पटना, दिनांक :-10-08-2021

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण